Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 85-2016/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 3 जून, 2016
(13 ज्येष्ठ, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2015 (2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7)	65
	2. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6)	66–71
	3. हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7)	72
	4. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8)	73–75
	5. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9)	76–78
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

Price : Rs. 5.00

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2016

संख्या लैज. 13/2015.– दि हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑव़ टे'क्–नि–कॅल ए'ड्यूकेशॅन (ॲमे'न्डमेन्ट ऐण्ड वैलीडेशन) ऐक्ट, 2015 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 27 मई, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2015

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008,

को आगे संशोधित करने के लिए तथा उसके

सम्बन्ध में की गई कतिपय कार्रवाईयों

तथा की गई बातों को विधिमान्य

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

(2) यह 6 मई, 2008 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2008 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 1 का संशोधन।

2. हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप–धारा (3) का लोप कर दिया जाएगा।

2008 का हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 49 का रखा जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 48 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''**49. विधिमान्यकरण.–** इसके होते हुए भी कि मूल अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (3) के अधीन इसके प्रवर्तन के लिए दिन नियत करने हेतु कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, मूल अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए 6 मई, 2008 से लागू हुआ समझा जाएगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, सरकार या बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन की गई सभी कार्रवाईयां, की गई बातें, बनाए गए नियम, जारी की गई अधिसूचनाएं, मूल अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाईयां, की गई बातें, बनाए गए नियम तथा जारी की गई अधिसूचनाएं इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएंगी, मानो अधिनियम लागू था तथा इस आधार पर किसी न्यायालय में, या किसी प्राधिकरण के समक्ष प्रश्नगत नहीं की जाएंगी।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2016

संख्या लैज. 9/2016.– दि हरियाणा इन्टरप्राईजिज प्रमोशन ऐक्ट, 2016 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 27 मई, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016

एक छत के नीचे उद्यम की स्थापना के लिए अपेक्षित एकल बिन्दु समयबद्ध समाशोधन उपबन्धित करते हुए हरियाणा राज्य में औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में विनियामक ढांचे के सरलीकरण तथा प्रोत्साहकों की सहायता तथा प्रकिया अपेक्षाओं को कम करने, दस्तावेजों के सुव्यवस्थीकरण करने के लिए उपबन्ध करने हेतु तथा औद्योगिक विकास की प्रोन्नति के लिए कारबार करने की सुगमता तथा नये निवेशों के सरलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए तथा हरियाणा राज्य में निवेशक के लिए अनुकूल वातावरण उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

(2) यह 14 अगस्त, 2015 से लागू हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''कोई राज्य विधि'' से अभिप्राय है, राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई या अपनाई गई कोई विधि ;

(ख) ''प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार का कोई विभाग या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई वैधानिक बोर्ड, निगम या कोई अन्य प्राधिकरण तथा जिसे राज्य में उद्यम स्थापित करने के संबंध में समाशोधन प्रदान या जारी करने के लिए शक्तियां तथा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो;

(ग) ''समाशोधन'' से अभिप्राय है, राज्य में उद्यम स्थापित करने या वर्तमान उद्यम के विस्तार के संबंध में किसी प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र, आबंटन, स्वीकृति, अनुमोदन, अनुज्ञा, पंजीकरण, पंजीयन, अनुज्ञप्ति प्रदान करना या जारी करना;

(घ) ''डीम्ड समाशोधन'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम या किसी राज्य विधि के अधीन विहित नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर दिया गया डीम्ड समाशोधन;

(ङ) ''जिला स्तरीय समाशोधन समिति'' से अभिप्राय है, धारा 8 के अधीन गठित समिति;

(च) ''जिला औद्योगिक केन्द्र'' से अभिप्राय है, जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा का कार्यालय;

(छ) ''उद्यमी'' से अभिप्राय है, कोई संस्था जो उद्यम स्थापित करने का निर्णय लेती है तथा इसमें शामिल हैं (i) वैयक्तिक; (ii) कोई अविभाजित हिन्दू परिवार; (iii) कोई कम्पनी; (iv) कोई पंजीकृत फर्म;(v) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अनुसार कोई सीमित दायित्व भागीदारी; (vi) व्यक्तियों का संगम या कोई व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर, निगमित हो या नहीं; (vii) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 2 के खण्ड (45) के अधीन यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी; (viii) भारत के बाहर किसी देश की विधियों द्वारा या के अधीन निगमित कोई निकाय निगम ; या (ix) सहकारी सोसाइटी से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;

(ज) ''सशक्त कार्यकारी समिति'' से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित समिति;

(झ) ''उद्यम'' से अभिप्राय है, विनिर्माण, प्रसंस्करण या दोनों या साफ्टवेयर विकास सहित कोई सेवा उपलब्ध करवाने में लगा हुआ कोई उपक्रम;

(ञ) ''हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड;

(ट) ''हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र'' से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन गठित केन्द्र;

(ठ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ड) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(ढ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड।

3. (1) राज्य सरकार, मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता तथा ऐसे अन्य सदस्य, जो विहित किए जाएं, के अधीन अधिसूचना द्वारा हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड का गठन करेगी।

(2) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड दो चरण प्रणाली अर्थात् परियोजना समाशोधन प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर सशक्त कार्यकारी समिति और जिला स्तर पर जिला स्तरीय समाशोधन समिति से मिलकर बनेगा।

(3) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड उद्यम विकास से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए अपैक्स निकाय होगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(i) अपना कारबार करने के लिए विनियम तथा प्रक्रिया बनाना तथा सशक्त कार्यकारी समिति को कृत्य आबंटित करना;

(ii) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र तथा जिला उद्योग केन्द्रों में पद सृजन करने, स्वीकृत करने, समाप्त करने तथा पुनः पदाभिहित करने;

(iii) सशक्त कार्यकारी समिति तथा जिला स्तरीय समाशोधन समितियों के कृत्यों को मानीटर, पर्यवेक्षण करना तथा पुनरीक्षण करना;

(iv) उद्यम प्रोन्नति नीति, 2015 के अधीन वित्तीय प्रोत्साहनों के पैकेज से बाहर मेगा परियोजनाओं तथा अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में सशक्त कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर कोई प्रोत्साहन देने, रियायत देने, छूट देने का अनुमोदन करना या समाशोधन प्रदान करना ;

(v) सशक्त कार्यकारी समिति तथा जिला स्तरीय समाशोधन समिति की सिफारिशों पर समाशोधन प्रदान करना, जहां अनुमोदन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं ;

(vi) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र की लेखा–परीक्षा रिपोर्टों सहित वार्षिक बजट, लेखों तथा रिर्पोटों का अनुमोदन करना ; तथा

(vii) इसके कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाना।

सशक्त कार्यकारी समिति।

4. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता तथा ऐसे अन्य सदस्य, जो विहित किए जाएं, के अधीन, ऐसे निवेश सहित परियोजनाओं पर विचार करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्र, जो विहित किए जाएं, के लिए भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सशक्त कार्यकारी समिति का गठन करेगी। सशक्त कार्यकारी समिति सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों या विनियमों, यदि कोई हो, परियोजना के उत्पादन/संचालन के प्रारम्भ के चरण/तिथि तक समयबद्ध रीति में समाशोधन तथा प्रोत्साहनों को प्रदान करने संबंधी, के अधीन इसको यथा सौंपी गई प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करेगी। यदि कोई प्राधिकरण सशक्त कार्यकारी समिति को अपनी शक्तियों को सौंपने में असमर्थ है, तो यह सशक्त कार्यकारी समिति में प्रतिनियुक्त इसके अधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा।

(2) प्रशासकीय सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा ऐसे कृत्य, जो विहित किए जाएं, का पालन करेगा । प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा महानिदेशक या निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। सशक्त कार्यकारी समिति का कार्यालय निदेशालय, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा, चण्डीगढ़ में स्थित होगा। निदेशालय, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा का अमला, सशक्त कार्यकारी समिति का कार्य करने के लिए विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति से उपयुक्त रूप से सुदृढ़ होगा।

(3) सशक्त कार्यकारी समिति हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड के पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगी तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी :–

(i) अपने कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाना;

(ii) ऐसे प्रस्तावित निवेश, जो विहित किए जाएं, सहित नई परियोजनाओं को स्थापित करने या वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए समाशोधनों को प्रदान करने के लिए ऑनलाइन कम्पोजिट आवेदन प्ररूपों पर कार्यवाही करना ;

(iii) उद्यमी को तिथि, जिसको ऐसा आवेदन डीम्ड समाशोधनों की दशा में अनुमोदित किया गया समझा जा सकता है, सूचित करना;

(iv) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों के प्रसंस्करण का पुनरीक्षण तथा मॉनीटर करना ;

(v) निजी सेक्टर में औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करना;

(vi) बहु विभागों से सम्बन्धित विषयों के संकल्प के लिए एकल बिन्दु अभिकरण के रूप में कार्य करना तथा वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के अन्तर–विभागीय विवादों का निपटान करना ;

(vii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो इसे हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं ;

(viii) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड को इसकी सिफारिशों या सुझावों सहित कोई मामला निर्दिष्ट करना।

(4) सशक्त कार्यकारी समिति समाशोधनों को प्रदान करने के लिए निर्णायक प्राधिकरण होगा। समिति द्वारा दिए गए समाशोधन सम्बद्ध प्राधिकरण पर बाध्यकारी होंगे।

(5) सशक्त कार्यकारी समिति, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता के अधीन किसी उप समिति तथा इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में इसे सहयोग करने के लिए तथा राज्य में निवेश के सरलीकरण के लिए, समय–समय पर, उद्योगों या सम्बन्धित क्षेत्रों से विशेषज्ञों, जैसा यह आवश्यक समझे, को नियुक्त कर सकती है।

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र।

5. (1) राज्य सरकार, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में तथा ऐसे अन्य सदस्य, जो विहित किए जाएं, शामिल करते हुए हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र का गठन कर सकती है।

(2) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड तथा सशक्त कार्यकारी समिति को सचिवीय सेवा उपलब्ध करवाएगा तथा औद्योगिक विकास में नियोजित सभी संस्थाओं का भूमि, जल, विद्युत, वित्त इत्यादि तथा अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा उप–विधियों की उपलब्धता का सम्पूर्ण डाटा बेस रखेगा। हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र निवेश के लिए अन्तिम लक्ष्य के रूप में राज्य प्रदर्शन–मंजूषा करेगा तथा यह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(i) राज्य में परियोजनाओं के लागूकरण के लिए आवश्यक विभिन्न समाशोधनों के संबंध में विशिष्ट रूप से भावी उद्यमियों को जोखिम अवस्थिति के लिए भूमि की उपलब्धता तथा अवसंरचना के वर्तमान स्तर हेतु तथा विभिन्न संगठनों के अनुमोदनों/ पंजीकरण के लिए आवेदनों की प्रस्तुतीकरण में उद्यमियों को सहयोग देने के लिए सूचना तथा मार्गरक्षी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक छत के नीचे एकल बिन्दु सम्पर्क अभिकरण के रूप में कार्य करना ;

(ii) प्रसंस्करण हेतु हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के आरक्षित कोटा के अधीन अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी निवेशकों को औद्योगिक प्लाट के आबंटन के लिए आवेदनों को प्राप्त करना;

(iii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में विशिष्ट रूप से प्रारम्भिक स्तर पर परियोजनाओं को परिग्रहण करने के लिए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के कार्यालयों से घनिष्ठतम सम्पर्क बनाए रखना ;

(iv) किसी अन्य कृत्य, जो विहित किया जाए, का पालन करना ।

औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो ।

6. (1) हरियाणा औद्योगिक प्रोन्नति अधिनियम, 2005 (2006 का 6) के अधीन गठित निवेश प्रोन्नति केन्द्र, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो के रूप में पुनः नामित किया जाएगा तथा प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के मार्गदर्शन के अधीन कृत्य करेगा। महानिदेशक या निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा इसका कार्यालय दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में होगा ।

(2) औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो का उद्देश्य नीति को बढ़ावा देना, उपगामी आधार पर उद्योग से निरन्तर सम्बन्ध बनाए रखना, ट्रैकिंग निवेश प्रस्तावों को बनाना, निवेश प्रोन्नत करना, अनिवासी भारतीय तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से सम्बन्धित विषयों का निराकरण करना, निवेशकों के प्रति मार्गदर्शी होना तथा निवेश शंकाओं को निवेश वचनबद्धता में परिवर्तित करना ।

(3) मण्डल नगर योजनाकार, सहायक महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, पर्यावरण अभियन्ता, सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा तथा उप महाप्रबन्धक, उत्तर बिजली वितरण निगम, उप महाप्रबन्धक, दक्षिण हरियाणा बिजली निगम, संयुक्त निदेशक, उद्योग की पदवी से नीचे के अधिकारी न हों, परामर्श कार्य फर्मों से परामर्शदाताओं, व्यावसायिकों या राज्य सरकार के अनुमोदन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा अनुशंसित ऐसे अन्य अधिकारी, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो का हिस्सा होंगे ।

विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड और अनिवासी भारतीय निवेश सैल ।

7. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अनिवासी निवेशों को उत्प्रेरित करने के लिए विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड और अनिवासी भारतीय निवेश सैल गठित करेगी ।

जिला स्तरीय समाशोधन समिति ।

8. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपायुक्त की अध्यक्षता के अधीन ऐसे सदस्य, जो विहित किये जाए, रखने वाली जिला स्तरीय समाशोधन समिति का गठन करेगी। प्राधिकारी ऐसे निवेश के साथ परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए इससे सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों या विनियमों, यदि कोई हों, के अधीन समाशोधनों को प्रदान करने के लिए या ऐसे क्षेत्र जो विहित किए जाएं, के लिए भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समाशोधन समिति के सदस्यों को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा ।

(2) जिला स्तरीय समाशोधन समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:–

(i) अपने कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाना ;

(ii) प्रस्तावित निवेश सहित औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए समाशोधनों को प्रदान करने हेतु ऑनलाईन कम्पोजिट आवेदन प्ररूपों पर कार्यवाही करना ;

(iii) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा आवेदनों के प्रसंस्करण का पुनरीक्षण तथा मॉनीटर करना;

(iv) उद्यमी को, तिथि जिसको ऐसा आवेदन डीम्ड समाशोधनों की दशा में अनुमोदित किया गया समझा जा सकता है, सूचित करना; तथा

(v) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

(3) जिला स्तरीय समाशोधन समिति, समाशोधन प्रदान करने के लिए निर्णायक प्राधिकारण होगा । जिला स्तरीय समाशोधन समिति द्वारा दिए गये समाशोधन प्राधिकरण पर बाध्यकारी होंगे ।

(4) जिला स्तरीय समाशोधन समिति, किसी प्राधिकरण द्वारा किसी समाशोधन को अस्वीकृत करने या रूपांतरण सहित इसका अनुमोदन करने बारे पारित आदेश की जांच करेगी तथा यदि जिला स्तरीय समाशोधन समिति विचार करती है कि ऐसी निर्णय में परिवर्तन के लिए वैध आधार हैं, तो वह कारणों को अभिलिखित करने के बाद निर्णय लेगी जो प्राधिकारण पर बाध्यकारी होगा ।

ऑनलाईन कम्पोजिट आवेदन प्ररूप।

9. ऑनलाईन कम्पोजिट आवेदन प्ररूप प्राप्त करने के लिए उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की वैब पोर्टल पर उद्यमियों के प्रयोग के लिए ऑनलाईन कम्पोजिट आवेदन प्ररूप होगा। आवेदन की प्राप्ति पर, हरियाणा उद्यमी प्रोन्नत केन्द्र या जिला उद्योग केन्द्र प्राधिकरणों से ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में समाशोधनों को एकत्रित करेगा, आगामी कार्यवाही करेगा तथा सुनिश्चित करेगा । सभी प्रक्रियाएं तथा समाशोधन प्राधिकरण के संबंध में वैब पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे ।

वचनबद्धता ।

10. प्रत्येक उद्यमी सम्यक रूप से पूर्ण ऑनलाईन कम्पोजिट आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करते समय ऐसे प्ररूप, जो विहित किये जाए, में वचनबद्धता देगा कि वह इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों की अनुपालना करेगा तथा अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों की अननुपालना की दशा में, उद्यमी धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित शास्तियों के लिए दायी होगा ।

डीम्ड समाशोधन ।

11. (1) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र तथा जिला उद्योग केन्द्र हरियाणा उद्यमी प्रोन्नति बोर्ड, सशक्त कार्यकारी समिति या जिला स्तरीय समाशोधन समिति, जैसी भी स्थिति हो, का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसी समय सीमा, जो विहित की जाए, के भीतर समाशोधन जारी करेंगे, जिसमें असफल रहने पर ऐसे समाशोधन जारी किए गए समझे जायेंगे ।

(2) उद्यमी कार्य निष्पादन या डीम्ड समाशोधन के अनुसरण में अन्य कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा, ताकि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन न किया जा सके ।

अधिसूचित सेवाएं ।

12, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) के अधीन राज्य में औद्योगिक प्रोन्नति से सम्बंधित औद्योगिक सेवाएं अधिसूचित कर सकता है ।

शिकायत प्रतितोष मैकेनिज्म ।

13, राज्य सरकार उद्यमियों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत प्रतितोष मैकेनिज्म सृजित करेगी ।

अपीली प्राधिकरण ।

14. (1) सशक्त कार्यकारी समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति समिति के निर्णय की संसूचना की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर हरियाणा उद्यमी प्रोन्नति बोर्ड को, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपील कर सकता है।

(2) जिला स्तरीय समाशोधन समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति समिति के निर्णय की संसूचना की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सशक्त कार्यकारी समिति को, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपील कर सकता है ।

(3) अपीली प्राधिकरण ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाने के बाद, इसकी प्राप्ति की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर अपील का निपटान करेगा ।

शास्तियां ।

15. कोई उद्यमी जो वचनबद्धता की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्रथम बार अनुपालना के लिए ऐसे जुर्माना जो पचास हजार रूपए होगा के भुगतान के लिए दायी होगा तथा पश्चात्वर्ती अननुपालना के लिए ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा जो एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है ।

अधिनियम पर अन्य विधियों का अध्यारोही होना ।

16. इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंध किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

17. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा, जब वह सत्र में हो ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

18. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में हरियाणा उद्यमी प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष, सशक्त कार्यकारी समिति, जिला स्तरीय समाशोधन समिति या बोर्ड या समितियों के अन्य सदस्यों या ऐसे बोर्ड या समितियों के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेंगी ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

19. इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, ऐसी कठिनाई दूर कर सकती है ।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. (1) हरियाणा औद्योगिक प्रोन्नति अधिनियम, 2005(2006 का 6), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2016

संख्या लैज. 10/2016.–दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (अॅमेन्डमॅन्ट) ऐक्ट, 2016 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 27 मई, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016
हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 59क का प्रतिस्थापन।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 59क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''**59क माफी स्कीम**.– इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, व्यवहारियों के वर्ग अथवा व्यवहारियों के वर्गों अथवा सभी व्यवहारियों द्वारा भुगतानयोग्य कर, कर की दरें, परिसीमन की अवधि, ब्याज, शास्ति अथवा किन्हीं अन्य बकायों को सम्मिलित करते हुए किसी अवधि से संबंधित अधिनियम के अधीन कर, ब्याज, शास्ति अथवा किन्हीं अन्य बकायों के भुगतान को सम्मिलित करते हुए माफी स्कीम, ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिसूचित कर सकती है।''।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2016

संख्या लैज. 11/2016.– दि हरियाणा डिवे'लॅपमॅन्ट ऐन्ड रे'ग्युलेशॅन ऑव़ अॅ:बॅन ए'अॅरिअॅज़ (अॅमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2016 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 27 मई, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2016
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,– 1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन।

(i) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात् :–

''(घ) 'उपनिवेशक' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, कम्पनी या व्यष्टि–संगम या व्यष्टि–निकाय, चाहे निगमित है अथवा नहीं, भूमि को उपनिवेश में परिवर्तित करने के लिए इसका स्वामित्व रखने वाला और जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है तथा इसमें कोई विकासक भी शामिल है;'';

(ii) खण्ड (घघघ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(घ1) 'विकासक' से अभिप्राय है, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए तथा किसी उपनिवेश का विकास करने के लिए ऐसे स्वामी की ओर से अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए आवेदन करने हेतु स्वामी के साथ सहयोग/ विकास करार के माध्यम से पदाभिहित कोई व्यक्ति, कम्पनी, व्यष्टि–संगम, फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी;

(घ2) 'विकास अधिकार' से अभिप्राय है, या तो स्वामी को, जो टीडीआर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित करने के लिए ऐसी भूमि सुपुर्द करता है, या किसी उपनिवेशक को, जिसको ऐसे निबन्धन तथा शर्तें पूरी करने के बाद तथा ऐसी फीस के भुगतान पर, जो विहित की जाए, पीडीआर प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, विकास प्लान को नगरीय बनाने योग्य सीमा के भीतर भूमि के विकास के लिए दिए गए अधिकार;'';

(iii) खण्ड (ञञ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(ञञञ) 'अप्रयोगमूलक भूमि' से अभिप्राय है, सैद्धान्तिक भूमि जिसका टीडीआर प्रमाण–पत्र जारी किया गया है;'';

(iv) खण्ड (ढढ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(ढ1) 'खरीदयोग्य विकास अधिकार प्रमाण–पत्र (पीडीआर प्रमाण–पत्र)' से अभिप्राय है, किसी विनिर्दिष्ट उपनिवेश, जो पुनः विक्रययोग्य तथा अन्तरणीय नहीं होगा, में किसी उपनिवेशक को दिए गए विकास अधिकारों का प्रमाण–पत्र ;

(ढ2) 'अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाण–पत्र (टीडीआर प्रमाण–पत्र)' से अभिप्राय है, किसी स्वामी, जो किसी प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित करने के लिए ऐसी भूमि सुपुर्द करता है, को दिए गए विकास अधिकारों का प्रमाण–पत्र तथा ऐसा प्रमाण–पत्र स्वामी द्वारा किसी विकास प्लान को नगरीय बनाने योग्य सीमा के भीतर विक्रय किया जा सकता है ;''।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,–

(i) उप–धारा (1) में,–

(क) विद्यमान परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि स्वामी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए भूमि एकीकरण हेतु किसी विकासक से संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से करार कर सकता है।'';

(ii) उप–धारा (3) के खण्ड (क) में,–

(क) उप–खण्ड (iv) में,–

(क) तृतीय परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) तृतीय परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि आवेदक को इस खण्ड के उपबन्धों से छूट प्राप्त होगी जहां खण्ड (iv-ख) की अनुपालना निदेशक द्वारा चाही गई है।'';

(ख) उप–खण्ड (iv-क) के बाद, निम्नलिखित उप–खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(iv-ख) अनुमोदित लेआउट प्लान में यथा सीमांकित तथा चिह्नित ऐसी भूमि के स्वामित्व का कब्जा तथा अन्तरण, ऐसे रूप तथा रीति, जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में सौंपना तथा ऐसी भूमि, ऐसे उपनिवेशों में, जहां निदेशक द्वारा, अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व, इस प्रभाव की कोई शर्त अधिरोपित की गई है, सामुदायिक निर्माणों, आवास, वाणिज्यिक तथा अन्य भौतिक तथा सामाजिक नगरीय अवसंरचना के सर्जन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकार में निहित होगी;''।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 6क तथा 6ख का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

''**6क. अन्तरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण–पत्र प्रदान करना.–** (1) यदि स्वामी, जिसकी भूमि ऐसे निबन्धन तथा शर्तें, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन, किसी विकास प्लान को नगरीय बनाने योग्य सीमा के भीतर टीडीआर प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु उपयुक्त है, सभी आशयों तथा प्रयोजनों हेतु, सभी ऋणभारों से मुक्त, निदेशक के माध्यम से सरकार में निहित करने के लिए, ऐसी भूमि का कब्जा सौंपने के लिए, विहित फारमेट में आवेदन करता है, तो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसी फीस तथा प्रभार, जो विहित किए जाएं, के भुगतान पर टीडीआर प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाने के लिए हकदार होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, निदेशक,–

(क) भूमि का परिमाण, स्थान तथा हक सत्यापित करने ;

(ख) विहित प्राचलों से आवेदन की अनुरूपता अभिनिश्चित करने; तथा

(ग) ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में दावों को आरम्भ करने तथा आक्षेपों का परीक्षण करने, के लिए ऐसे आवेदन की संवीक्षा करेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन संवीक्षा करने के बाद, निदेशक, विहित निर्देशिका, जिस पर विकास अधिकार ऐसे निबन्धन तथा शर्तें, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन उपयोग किए जा सकते हैं, से गुणनखण्ड करने के बाद, संगणित की जाने वाली अप्रयोगमूलक भूमि विनिर्दिष्ट करते हुए टीडीआर प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है अथवा इसे, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए, रद्द कर सकता है :

परन्तु कोई भी ऐसा आवेदन स्वामी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

(4) विकास अधिकारों की हकदारी भूमि के क्षेत्र तथा इसकी अवस्थिति के आधार पर संगणित की जाएगी, जो टीडीआर प्रमाण–पत्र जारी करने के कारण सभी ऋणभारों से मुक्त तथा तत्समय लागू किसी विधि के अधीन प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित होगी :

परन्तु सरकार या तो ऐसी भूमि का अन्तरण, जो इसमें निहित है, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जैसा यह उचित समझे, पर, ऐसे प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण सहित किसी व्यक्ति या संस्था को कर सकती है, या इसके अन्तरण तथा उपयोग से पूर्व, अच्छी योजना को सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से भूमि की अदला–बदली कर सकती है।

(5) विकास अधिकार केवल निर्माण प्लान के अनुमोदन के समय पर निदेशक से सम्यक् अनुमोदन प्राप्त करने के बाद व्यवहार्य होंगे तथा तब तक उपयोग किया जाना अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक निदेशक द्वारा टीडीआर प्रमाण–पत्र में ऐसे प्रभाव की प्रविष्टि नहीं की जाती है तथा रजिस्टर/ डाटाबेस नहीं बनाया जाता है।

(6) विकास अधिकारों का उपयोग ऐसी परिसीमाओं के अध्यधीन होगा, जो विहित की जाएं।

(7) निदेशक, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में इस धारा के अधीन प्रदान किए गए विकास अधिकारों को जारी करने, अन्तरण करने अथवा उपयोग करने की प्रविष्टियों सहित रजिस्टर/ डाटाबेस बनाए रखेगा तथा समय–समय पर प्रकाशित करवाएगा।

6ख. खरीदयोग्य विकास अधिकार प्रमाण–पत्र (पीडीआर प्रमाण–पत्र) प्रदान करना.– (1) पीडीआर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आशयित कोई उपनिवेशक, मांग पर, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, जमा करवाने की वचनबद्धता सहित विहित फारमेट पर आवेदन करेगा, ऐसे निबन्धन तथा शर्तें पूरी करने पर तथा ऐसी फीस के भुगतान पर, जो विहित की जाए, इस धारा के अधीन पीडीआर प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाने के लिए हकदार होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर तथा आवेदन की संवीक्षा पर, निदेशक, यदि सन्तुष्ट हो जाता है, इसके उपयोग को विनिर्दिष्ट करते हुए पीडीआर प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है अथवा इसे, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए, रद्द कर सकता है :

परन्तु कोई भी ऐसा आवेदन उपनिवेशक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

(3) किसी विशिष्ट उपनिवेश के लिए जारी किए गए किसी पीडीआर प्रमाण–पत्र के लिए विकास अधिकारों का उपयोग अनन्तरणीय होगा तथा इसके लिए जमा करवाई गई फीस अप्रतिदेय होगी।''।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– 1975 का हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 8क का रखा जाना।

''8क. ऑनलाइन प्राप्ति तथा अनुमोदन.– (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए सभी कृत्य इलैक्ट्रोनिक फोरम तथा इंटरनेट के माध्यम से भी किए जा सकते हैं।

(2) उप–धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कृत्यों में निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं को शामिल किया जा सकता है :–

(क) आवेदनों तथा भुगतानों की प्राप्ति अथवा पावती ;

(ख) अनुमोदन, आदेश अथवा निर्देश जारी करने ;

(ग) अनुज्ञप्ति प्रदान करने, इसका नवीकरण, अन्तरण अथवा अधिभोग प्रमाण–पत्र, उसका भाग या समापन प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रदान करने हेतु संवीक्षा, जांच अथवा पत्राचार करना;

(घ) नक्शों, अनुमानों, अधिभोग प्रमाण–पत्रों इत्यादि का अनुमोदन करने;

(ङ) दस्तावेज दायर करने ;

(च) वसूलियों के लिए नोटिस जारी करना ;

(छ) रजिस्टरों तथा अभिलेखों का अनुरक्षण ;

(ज) कोई अन्य कृत्य जो निदेशक लोक हित में उचित समझे।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (2) में,– 1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 24 का संशोधन।

(i) खण्ड (झ) में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) खण्ड (झ) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''(ञ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है अथवा किया जा सकता है।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2016

संख्या लैज. 12/2016.– दि हरियाणा बैकवर्ड क्लासिस कमीशन ऐक्ट, 2016 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 27 मई, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने तथा इससे सम्बन्धित या उसके आनुषांगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम। **1.** यह अधिनियम हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

परिभाषाएं। **2.** इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''पिछड़े वर्ग'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, राजपत्र में यथा अधिसूचित ऐसे पिछड़े वर्ग ;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ;

(ग) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, आयोग का सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष भी शामिल है ;

(घ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ङ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। **3.** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में ज्ञात किसी निकाय का गठन करेगी।

(2) आयोग राज्य सरकार द्वारा नामांकित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ;

(ख) सामाजिक वैज्ञानिक ;

(ग) दो व्यक्ति, जो पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों ; तथा

(घ) सदस्य–सचिव, जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी है या रहा है जो सचिव, हरियाणा सरकार की पदवी से नीचे का न हो ।

अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें। **4.** (1) प्रत्येक सदस्य तिथि जिसको वह पद ग्रहण करता है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) कोई सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, किसी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(3) राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाएगी, यदि वह,–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है; या

(ख) किसी अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता वाला है, के लिए दोषसिद्ध किया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है; या

(ग) विकृतचित हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है; या

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

(ङ) अवकाश प्राप्त किए बिना आयोग से अनुपस्थित रहता है, आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में, सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना पिछड़े वर्गों के हितों या लोक–हित के लिए अहितकर है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उप–धारा (2) के अधीन या अन्यथा से हुई कोई रिक्ति नये नामांकन द्वारा भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।

5. (1) राज्य सरकार, आयोग को ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

अनुदानों में से भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्ते।

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन सहित प्रशासकीय खर्च धारा 12 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से दिए जाएंगे।

रिक्ति के कारण आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

7. आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने, सदस्य की अनुपस्थिति या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया।

8. (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य–सचिव या इस निमित्त सदस्य–सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

आयोग के कृत्य।

9. आयोग पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने या निकालने के लिए अनुरोधों का परीक्षण करेगा तथा किसी पिछड़े वर्ग को अधिक शामिल करने या कम शामिल करने की शिकायतों की सुनवाई करेगा तथा राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे।

आयोग की शक्तियां।

10. आयोग को, धारा 9 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय, वाद के विचारण के लिए तथा विशेषतया निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना तथा हाजिर करवाना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना ;

(ङ) गवाहों तथा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन देना ; तथा

(च) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाए।

पिछड़े वर्ग का नियतकालिक पुनरीक्षण।

11. (1) राज्य सरकार किसी भी समय पर, तथा इस अधिनियम के लागू होने से दस वर्ष की समाप्ति तथा उसके बाद दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि पर पिछड़े वर्गों का पुनरीक्षण कर सकती है/करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कार्य करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

12. (1) राज्य सरकार, इस निमित्त राज्य विधानमण्डल की विधि द्वारा विनियोग के बाद, अनुदानों के रूप में आयोग को ऐसी धन–राशि का भुगतान करेगी, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उचित समझे।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धन–राशियां खर्च कर सकता है, जो वह उचित समझे तथा ऐसी धन–राशियां उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से भुगतानयोग्य खर्च के रूप में समझी जाएंगी।

लेखे।

13. आयोग, उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों की वार्षिक विवरणी ऐसे रूप में तैयार करेगा जैसा विहित किया जाए।

वार्षिक रिपोर्ट।

14. (1) आयोग, पूर्व वित्त वर्ष के दौरान इसके क्रियाकलापों के पूर्ण लेखे देते हुए इसकी वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ऐसे रूप में तथा ऐसे समय पर तैयार करेगा, जो विहित किया जाए तथा राज्य सरकार को इसकी प्रति भेजेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट रखवाएगी।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45), की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवकों के रूप में समझे जाएंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

16. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :–

(क) सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ख) प्ररूप जिसमें लेखों की वार्षिक विवरणी धारा 13 के अधीन तैयार की जाएगी ;

(ग) प्ररूप जिसमें तथा समय जिस पर वार्षिक रिपोर्ट धारा 14 के अधीन तैयार की जाएगी ;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

17. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

54395—L.R.—H.G.P., Chd.